भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1025
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए न्यायालय

1025. डॉ. निशिकान्त दुबे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं पर अत्याचार संबंधी मामलों के निपटारे के लिए अब तक राज्य/स्थानवार कितने महिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का कई अन्य राज्यों में भी ऐसे न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : चौदहवें वित्त आयोग (2015-2020) की संस्तुति के अनुसार, त्वरित निपटान न्यायालयों को जघन्य अपराधों, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों, महिला, बच्चों इत्यादि से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं, से निपटने के लिए स्थापित किया गया है । **उपाबंध -1** में दिये गए ब्योरे के अनुसार 30.06.2025 तक विभिन्न राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 865 त्वरित निपटान न्यायालय प्रकार्यात्मक हैं।

इसके अतिरिक्त, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट (आपराधिक) संख्या 22/1991 में दिए गए निदेशों के अनुसरण में अक्टूबर 2019 से केंद्रीय सरकार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों, अनन्य पोस्को (इ-पोस्को) न्यायालयों सहित की स्थापना हेतु केंद्रीकृत प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करती रही है। ये न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम, 2012 के तहत अपराधों और बलात्कार संबंधी लंबित प्रकरणों के समयबद्ध विचारण और निष्पादन के लिए समर्पित हैं। 30.06.2025 को 29 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 392 अनन्य पोस्को (इ-पोस्को) न्यायालयों सहित 725 त्वरित निपटान न्यायालय प्रकार्यात्मक हैं, योजना की शुरुआत

से इन न्यायालयों ने 3,34,213 प्रकरणों को निष्पादित किया है। **उपाबंध-2** में राज्यवार / राज्यक्षेत्रवार त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की सूची दी गई है।

31 मार्च, 2026 तक नवीनतम विस्तार के साथ 1952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय पर, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपये निर्भया निधि से केंद्रीय अंश के तौर पर व्यय किया जाएगा, अब तक इस योजना को दो बार विस्तारित किया गया है। एक न्यायिक अधिकारी के साथ में सात सहायक कर्मचारीवृंद के वेतन का भुगतान करने और दैनिक खर्चों के नम्य अनुदान हेतु केंद्र राज्य अंश प्रतिमान (केंद्रीय अंश : राज्य अंश :: 60:40, 90:10) पर निधि जारी की जाती है।

इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने महिलाओं की चिंताओं और मुद्दों पर ध्यान देने और उनका समाधान करने हेतु एकीकृत नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' का शुभारम्भ किया है। 'मिशन शक्ति' की उप योजना का घटक 'नारी अदालत', एक प्रायोगिक परियोजना और पहल है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर मामूली स्वरूप के प्रकरणों (उत्पीडन, विध्वंस, अधिकारों या हकदारिता में कटौती) के समाधान हेतु एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है। चरणबद्ध तरीके से 'नारी अदालत' के घटक को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें 7-9 के समूह में महिलायें, जो पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि होती है और वे सुप्रतिष्ठित, सुशिक्षित और ख्याति प्राप्त हैं। अदालतों के लिए यह अनिवार्य है कि संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करें और घरेलू हिंसा तथा अन्य लिंग आधारित हिंसा से संबंधित छोटे मुद्दों को पारस्परिक सहमति के साथ बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से हल करें। वे महिलाओं को उनके संवैधानिक और विधिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करते हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता सहित अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। असम राज्य और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर, प्रत्येक के पचास ग्राम पंचायतों में 'नारी अदालत' चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) : केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत सरकार ने 790 त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के स्थापना को अनुमोदित किया। तथापि, कुछ राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में योजना के तहत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या उद्दिष्ट से कम है। शेष न्यायालयों के संक्रियात्मीकरण हेतु केंद्रीय सरकार ऐसे राज्य / संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों के साथ समन्वयन करती रही है। इसके आगे, "नारी अदालत परियोजना" का 16 राज्यों अर्थात् गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में प्रत्येक के 10 ग्राम पंचायतों; 2 संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात् दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 5 ग्राम पंचायतों में मार्गदर्शन किया जा रहा है।

****

उपाबंध - 1

प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा
(30.06.2025 को यथाविद्यमान)

क्र. सं.	राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	21	6915
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	16	13713
5	बिहार	0	0
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	27	5816
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
9	दिल्ली	26	6625
10	गोवा	4	1349
11	गुजरात	54	5316
12	हरियाणा	6	774
13	हिमाचल प्रदेश	3	332
14	जम्मू-कश्मीर	8	1423
15	झारखंड	41	9110
16	कर्नाटक	0	0
17	केरल	0	0
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0
21	महाराष्ट्र	102	153896
22	मणिपुर	6	199
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	2	259
25	नागालैंड	0	0
26	ओडिशा	0	0
27	पुदुचेरी	1	4458
28	पंजाब	7	152
29	राजस्थान	0	0
30	सिक्किम	2	17
31	तमिलनाडु	72	80244
32	तेलंगाना	0	0
33	त्रिपुरा	2	1049
34	उत्तर प्रदेश	373	1057849
35	उत्तराखंड	4	1103
36	पश्चिमी बंगाल	88	87599
	योग	865	1438198

उपाबंध - 2

प्रकार्यात्मक त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों अनन्य पोस्को न्यायालयों सहित का राज्यवार / संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा
(30.06.2025 को यथाविद्यमान)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	प्रकार्यात्मक न्यायालय		लंबित प्रकरणों की संख्या
		त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों अनन्य पोस्को न्यायालयों सहित	अनन्य पोस्को	
1	आंध्र प्रदेश	16	16	6303
2	असम	17	17	6435
3	बिहार	46	46	18459
4	चंडीगढ़	1	0	214
5	छत्तीसगढ़	15	11	1739
6	दिल्ली	16	11	3560
7	गोवा	1	0	155
8	गुजरात	35	24	5315
9	हरियाणा	18	14	4420
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	643
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	497
12	कर्नाटक	30	17	5220
13	केरल	55	14	6292
14	मध्य प्रदेश	67	56	10713
15	महाराष्ट्र	2	1	290
16	मणिपुर	2	0	49
17	मेघालय	5	5	1097
18	मिजोरम	3	1	75
19	नागालैंड	1	0	59
20	ओडिशा	44	23	9065
21	पुद्दुचेरी	1	1	218
22	पंजाब	12	3	1451
23	राजस्थान	45	30	4892
24	तमिलनाडु	14	14	5234
25	तेलंगाना	36	0	8782
26	त्रिपुरा	3	1	224
27	उत्तराखंड	4	0	1094
28	उत्तर प्रदेश	218	74	92700
29	पश्चिमी बंगाल	8	8	5154
30	झारखंड**	0	0	0
31	अंदमान और निकोबार द्वीप***	0	0	0
32	अरूणाचल प्रदेश****	0	0	0
	योग	**725**	**392**	**200349**

टिप्पण : योजना की शुरूआत में, प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के मानक के आधार पर देशभर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों के आबंटन किया गया था, इसका अभिप्राय यह है कि एक त्वरित निपटान विशेष न्यायालय की स्थापना प्रति न्यायालय 65 से 165 लंबित प्रकरणों के लिए की जाएगी। इस आधार पर इस योजना में शामिल होने के लिए सिर्फ इकतीस राज्य / संघ राज्यक्षेत्र पात्र थे।

* तारीख 07/07/2025 के पत्र के तहत झारखंड सरकार ने त्वरित निपटान विशेष न्यायालय योजना से बाहर होने का निर्णय लिया है।
**अंदमान और निकोबार द्वीप ने योजना में शामिल होने की सहमति प्रदान की है, परंतु किसी न्यायालय का संक्रियात्मीकरण होना शेष है।
***बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के लंबित प्रकरणों की संख्या काफी न्यून को उद्धृत करते हुए अरूणाचल प्रदेश ने योजना से अलग हो गई है।

****